[भाग 1

# राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. एफ. 1-7-2012-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में, प्रकाशन की तारीख से, अशोकनगर जिले की तहसील ईसागढ़ तथा तहसील शाढ़ोरा की सीमाएं, उनमें से राजस्व वृत्त नई सराय के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 17 एवं पटवारी हल्का क्रमांक 22 से 24 और वर्तमान तहसील ईसागढ़ के राजस्व वृत्त सारसखेड़ी के पटवारी हल्का क्रमांक 68 और 69 तथा वर्तमान तहसील शाढ़ोरा के राजस्व वृत्त शाढ़ोरा के पटवारी हल्का क्रमांक 2 से 5 को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त नई सराय के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 17 एवं पटवारी हल्का क्रमांक 22 से 24 और वर्तमान तहसील ईसागढ़ के राजस्व वृत्त सारसखेड़ी के पटवारी हल्का क्रमांक 68 और 69 तथा वर्तमान तहसील शाढ़ोरा के राजस्व वृत्त शाढ़ोरा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 5 को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील नई सराय का सृजन करती है, जिसमें कुल 27 पटवारी हल्के तथा 67 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय नई सराय में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

#### भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. एफ. 1-7-2012-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-7-2012-सात-शा. 6, दिनांक 22 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतत्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

#### Bhopal, the 22nd August 2013


No. F-1-7-2012-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil Isagarh and Tehsil Shadora of District Ashoknagar from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 1 to 17 and Halka No. 22 to 24 of Revenue Circle Nai Sarai and Patwari Halka No. 1 to 5 of Revenue Circle Shadora of present Tehsil Shadora and creates a new Tehsil Nai Sarai by comprising of Patwari Halka No. 1 to 17 and Halka No. 22 to 24 of Revenue Circle Nai Sarai and Patwari Halka No. 68 and 69 of Revenue Circle Saraskhedi of present Tehsil Isagarh and Patwari Halka No. 1 to 5 of Revenue Circle Saraskhedi of present Tehsil Isagarh and Patwari Halka No. 1 to 5 of Revenue Circle Shadora in which the total Patwari Halkas shall be 27 and Village shall be 67. The headquarter of the said Tehsil shall be at Nai Sarai.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.

## भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. एफ. 1-3-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में, प्रकाशन की तारीख से, दितया जिले की तहसील दितया की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त बड़ौनी के 19 पटवारी हल्के तथा राजस्व वृत्त बिल्हारी खुर्द के 17 पटवारी हल्के अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त बड़ौनी के 19 पटवारी हल्के और राजस्व वृत्त बिल्हारीखुर्द के 17 पटवारी हल्के समाविष्ट करते हुए, एक नई तहसील बड़ौनी का मृजन करती है, जिसमें कुल 36 पटवारी हल्के तथा 78 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बड़ौनी में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.



# राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. एफ. 1-7-2012-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में, प्रकाशन की तारीख से, अशोकनगर जिले की तहसील ईसागढ़ तथा तहसील शाढ़ोरा की सीमाएं, उनमें से राजस्व वृत्त नई सराय के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 17 एवं पटवारी हल्का क्रमांक 22 से 24 और वर्तमान तहसील ईसागढ़ के राजस्व वृत्त सारसखेड़ी के पटवारी हल्का क्रमांक 68 और 69 तथा वर्तमान तहसील शाढ़ोरा के राजस्व वृत्त शाढ़ोरा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 5 को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्य वृत्त नई सराय के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 17 एवं पटवारी हल्का क्रमांक 22 से 24 और वर्तमान तहसील ईसागढ़ के राजस्व वृत्त सारसखेड़ी के पटवारी हल्का क्रमांक 68 और 69 तथा वर्तमान तहसील शाढ़ोरा के राजस्व वृत्त शाढ़ोरा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 5 को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील नई सराय का सृजन करती है, जिसमें कुल 27 पटवारी हल्के तथा 67 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय नई सराय में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

#### भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. एफ. 1-7-2012-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-7-2012-सात-शा. 6, दिनांक 22 अगस्त 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतत्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

## Bhopal, the 22nd August 2013

No. F-1-7-2012-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil Isagarh and Tehsil Shadora of District Ashoknagar from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 1 to 17 and Halka No. 22 to 24 of Revenue Circle Nai Sarai and Patwari Halka No. 68 and 69 of Revenue Circle Saraskhedi of present Tehsil Isagarh and Patwari Halka No. 1 to 5 of Revenue Circle Shadora of present Tehsil Shadora and creates a new Tehsil Nai Sarai by comprising of Patwari Halka No. 1 to 17 and Halka No. 22 to 24 of Revenue Circle Nai Sarai and Patwari Halka No. 68 and 69 of Revenue Circle Saraskhedi of present Tehsil Isagarh and Patwari Halka No. 1 to 5 of Revenue Circle Shadora in which the total Patwari Halkas shall be 27 and Village shall be 67. The headquarter of the said Tehsil shall be at Nai Sarai.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. K. CHATURVEDI, Principal Secy.

# भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2013

क्र. एफ. 1-3-2013-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में, प्रकाशन की तारीख से, दितया जिले की तहसील दितया की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त बड़ौनी के 19 पटवारी हल्के तथा राजस्व वृत्त बिल्हारी खुर्द के 17 पटवारी हल्के अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त बड़ौनी के 19 पटवारी हल्के और राजस्व वृत्त बिल्हारीखुर्द के 17 पटवारी हल्के समाविष्ट करते हुए, एक नई तहसील बड़ौनी का मृजन करती है, जिसमें कुल 36 पटवारी हल्के तथा 78 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बड़ौनी में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम रो तथा आदेशानुसार, अगर के. चतुर्नेदी, प्रमुख सचिव